







## भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

601-ए/A, कनैक्टस टॉवर/Konnectus Tower-1, छठी मंजिल/6th Floor, डीएमआरसी बिल्डिंग/DMRC Building, भवभूति मार्ग/Bhavbhuti Marg, नई दिल्ली/New Delhi-110002

लाइसेंस सं. **म.क्षे.का/क्यूएम/एल – 8002208.4** Licence No. **CRO/QM/L-8002208.4** 

1.भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016(2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby **recertifies** 

M/s Jainco Buildcon Pvt Ltd., 3-5 First Floor, LSC, BQ Block, DDA Market, Shalimar Bagh, Delhi - 110088 मैसर्स जैनको बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, 3-5 पहला तल, एलएससी बीक्यू ब्लॉक, डीडीए मार्केट, शालीमार बाग, दिल्ली - 110088

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धतिप्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आईएस/आईएसओ9001:2015 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत/ प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

## IS/ISO 9001:2015

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is **recertified** subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 19 जुलाई 2022 से 18 जुलाई 2025 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जासकेगा । This licence shall be valid from 19 July 2022 to 18 July 2025 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2022 के जुलाई माह के अठारहवाँ दिन हस्ताक्षरित एवं मुहराँकित Signed, Sealed and dated this Eighteenth day of July 2022

(Dr. R.K. Tyagi)

Deputy Director General (Central)

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Last certification expiry date 18 July 2022

Certification audit Date 30June-01 July 2022

\* Recertification Due Date 18 July 2025

